	(2) जहाँ उप धारा (1) के अधीन ग्राम परिषद को कार्य या ड्यूटि सौंपा जाता है, प्रशासक ऐसे ग्राम परिषद को जैसा वह निर्धारित करता है, संग्रह किया दर सौंपेगा ।	
	31. (1) इस विनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन ग्राम परिषद गाँव में रहने वाले योग्य पुरूष जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो तथा जो इस दल में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, को शामिल करते हुए एक स्वयं सेवक दल का गठन करेंगे और उचित व्यक्ति को इसका नेतृत्व दिया जाएगा । (2) ग्राम स्वयं सेवक दल की सेवा का उपयोग आम पहरेदारी के लिए और आपातकाल जैसे आग लगने, बाढ़, महामारी के फैलने अथवा किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के दौरान किया जाएगा । (3) इस बल के किसी सदस्य को ड्यूटी निभाते हुए होने वाली किसी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा ।	ग्राम स्वयं सेवक बल
	32. ग्राम परिषद का प्रत्येक अनुबंध अथवा करार लिखित में होगा और इसे फर्स्ट कैप्टन, सचिव और ग्राम परिषद का एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाना होगा तथा ग्राम परिषद के मुहर से मुहरबंद करना होगा ।	अनुबंध का निष्पादन
	अध्याय – V **वित्त, सम्पत्ति और लेखा**	
	33. (1) प्रत्येक ग्राम साधारण निकाय के लिए एक ग्राम परिषद निधि होगी और इसका उपयोग इस विनियम के अन्तर्गत ग्राम साधारण निकाय अथवा ग्राम परिषद पर अधिरोपित ड्यूटी और दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाएगा । (2) निम्नलिखित को जमा किया जाएगा और यह ग्राम परिषद निधि का भाग बनेगा, अर्थात – (क) धारा 36 के अन्तर्गत अधिरोपित किसी कर अथवा शुल्क से प्राप्ति; (ख) सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा अंशदान; (ग) किसी भी प्राधिकरण अथवा न्यायालय द्वारा आदेशित धन राशि ग्राम परिषद निधि में जमा किया जाएगा;	ग्राम परिषद निधि